राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन. रिट संख्या 156/2020

1. भंवर लाल पुत्र राम लाल रेगर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

2. दुर्गा लाल पुत्र राम लाल रेगर, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

3. मदन लाल, पुत्र कल्याण रेगर (19.03.2016 को मृत) के एलआर

4. लादू पुत्र मोडू रेगर, उम्र करीब 61 साल, निवासी अंबेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

5. जगदीश पुत्र मोडू जी रेगर, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

6. नौरती पत्नी सोजी, पुत्री कल्याण रेगर उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

7. सुखदेव पुत्र हजारी रेगर, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

8. कमला पत्नी मेवा पुत्री कालू रेगर उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

9. छोटू पुत्र हुकमा रेगर, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

10. माना पत्नी बद्री रेगर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

---अपीलकर्ता

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नी दुर्गा लाल रेगर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ऊंचा तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

2. राजस्थान राज्य, उप सचिव, राजस्व (जी III) विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।

4. तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

5. ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत ऊंचा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

6.पटवारी, ग्राम पंचायत ऊंचा, तह. जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

7. राम प्रसाद पुत्र रामकरण रेगर, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

8. रामचन्द्र पुत्र हजारी रेगर, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

9. सोजी बाबू पुत्र चन्द्र रेगर, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, खसरा नंबर 73, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री चयन बोथरा

सम्यक दलाल जी

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मोती सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायमूर्ति श्री कुलदीप माथुर

<u>आदेश</u>

27/08/2024

न्यायालय द्वारा (माननीय श्री चंद्रशेखर, जे के अनुसार):

रिट कोर्ट के समक्ष, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप III) के उप सचिव द्वारा जारी दिनांक 3 सितंबर 2012 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष थी और उसने दावा किया था कि वह भीलवाड़ा जिले के ऊंचा, तहसील-जहाजपुर की निवासी है।

2. रिट कोर्ट के दिनांक 13 सितंबर 2019 के आदेश पर एक नज़र डालने पर यह प्रतीत होता है कि इससे पहले जारी किया गया आदेश प्रतिवादी संख्या 6 से 18 के कब्जे वाली भूमि को नियमित करने के लिए था, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं। रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री मोती सिंह ने "मुन्ना लाल और अन्य बनाम राज. राज्य और अन्य" आरआरडी 2009 574 और "निज़ामुद्दीन बनाम राजस्व बोर्ड और अन्य" का हवाला दिया। रिट का समर्थन करने के लिए आरआरडी 1991 451 दिनांक 3 सितंबर 2012 के नियमितीकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने के न्यायालय के निर्णय का समर्थन करता है, इस आधार पर कि सरकार के पास गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण को नियमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. निजामुद्दीन (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि जो भूमि सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा है, उसका उपयोग केवल सार्वजनिक मार्ग के रूप में ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि आम जनता को उस भूमि का सार्वजनिक मार्ग के रूप में उपयोग करने का अधिकार है और सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती। आगे यह माना गया कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जा सकता है और इसे हटाया जाना चाहिए। निजामुद्दीन (सुप्रा) में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दियाः राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 88 में यह

प्रावधान है कि सभी सार्वजनिक सड़कें, गलियां, रास्ते, पुल और खाई, उन पर या उनके किनारे सभी बाड़, सभी नदियां, नदियां, नाले, झील और तालाब, सभी नहरें और जलमार्ग, सभी खड़े और बहते हुए पानी और सभी भूमि, जहां कहीं भी स्थित हैं, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकायों की संपत्ति नहीं हैं, जो कानूनी रूप से संपत्ति रखने में सक्षम हैं, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्तियों या निकायों के कोई अधिकार उसमें या उस पर स्थापित हो सकते हैं और किसी भी कानून में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, और इसके द्वारा उसमें या उस पर या उससे संबंधित सभी अधिकारों के साथ राज्य की संपत्ति घोषित की जाती है और कलेक्टर के लिए राज्य सरकार के आदेश के अधीन उन्हें इस तरह से निपटाना वैध होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, हमेशा रास्ते के अधिकारों और जनता या व्यक्तियों के सभी अन्य अधिकारों के अधीन कानूनी रूप से इस प्रकार, सभी सरकारी नजूल भूमि आवंटित की जा सकती है, लेकिन ऐसा आवंटन हमेशा जनता या व्यक्तियों के कानूनी रूप से विद्यमान सभी अन्य अधिकारों और मार्ग के अधिकारों के अधीन होगा। 4. इस न्यायालय ने “मुन्ना लाल” (सुप्रा) में “निजामुद्दीन” (सुप्रा) का अनुसरण किया और सार्वजनिक पथ का हिस्सा बनने वाली भूमि के आवंटन के संबंध में प्रश्न पर विचार करते हुए यह माना कि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध कृषि भूमि नहीं माना जा सकता। मुन्ना लाल (सुप्रा) में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित कियाः

12. 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कलेक्टर को स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर आवंटन को रद्द करने का अधिकार है, यदि आवंटन धोखाधड़ी अथवा मिथ्या कथन के माध्यम से प्राप्त किया गया हो अथवा नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया हो। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 3 के पिता श्री रामजीराम द्वारा भूमि के आवंटन पर इस आधार पर प्रश्न उठाते हुए आवेदन किए जाने पर कि

वह सार्वजनिक मार्ग का भाग है तथा आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है, संबंधित प्राधिकारी का दायित्व है कि वह आवंटन की वैधता की जांच करे तथा नियमों के विरूद्ध पाए जाने पर आवंटन को रद्द करने के लिए उचित आदेश पारित करे। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 के पिता द्वारा आवंटन पर प्रश्न उठाने के अधिकार के संबंध में आपत्ति 1970 के नियम 14(4) के तहत एक आवेदन संधारणीय नहीं था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उसे सही रूप से खारिज कर दिया गया है।

13. यह स्थापित कानून है कि सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा बनने वाली भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक मार्ग से प्रवेश और निकास का अधिकार है। निजामुद्दीन के मामले (सुप्रा) में, सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा बनने वाली भूमि के आवंटन के संबंध में प्रश्न पर विचार करते समय इस न्यायालय की एक पीठ ने स्पष्ट रूप से माना कि "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में दर्ज भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध कृषि भूमि नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

"19. 1981 के नियमों में शहरी क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के आवंटन, परिसंचारी और नियमितीकरण का प्रावधान है। अब यह तय करना है कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज की गई भूमि को कृषि भूमि माना जा सकता है या नहीं? हमारा विचार है कि इसे कृषि भूमि नहीं माना जा सकता। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 140 में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अधिकार अभिलेख में की गई सभी प्रविष्टियां तब तक सत्य मानी जाएंगी जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। इस मामले में दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 1979 राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन गोवा के रूप में दर्ज

है। जब यह भूमि गैर मुमकिन रास्ता का हिस्सा है और निरीक्षक, भूमि अभिलेख द्वारा प्रमाणित की गई है, तो यह आश्चर्यजनक है कि तहसीलदार (रूपांतरण) ने कैसे रिपोर्ट दी है कि यह भूमि सिवाय चक का हिस्सा है। वह भूमि जो गैर मुमकिन रास्ता का हिस्सा है। रास्ते का हिस्सा बनने वाली भूमि का उपयोग केवल रास्ते के रूप में ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि आम जनता को उस भूमि का उपयोग सार्वजनिक मार्ग के रूप में करने का अधिकार है और उस सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जा सकता। यदि कोई अतिक्रमण किया भी गया है, तो सार्वजनिक मार्ग पर उस अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जा सकता और उसे हटाना ही होगा। जिन व्यक्तियों की भूमि उस मार्ग से लगती है, उन्हें उस सार्वजनिक मार्ग से आने-जाने का अधिकार है और उस अधिकार को किसी निजी नागरिक द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण करके पराजित नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति की भूमि सार्वजनिक मार्ग से लगती है, वह उन व्यक्तियों की श्रेणी में आता है, जिन्हें उस अतिक्रमण के कारण विशेष क्षति हुई है। हो सकता है कि सार्वजनिक मार्ग के दूसरी ओर कुछ अन्य अतिक्रमण किए गए हों और उन अतिक्रमणों के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिकायतकर्ता को उस व्यक्ति के खिलाफ कोई राहत नहीं मिल सकती, जिसके अतिक्रमण को उसने चुनौती दी है।"

5. रिट कोर्ट ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 के एक निर्णय का भी हवाला दिया, जिसका शीर्षक था "गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।" और माना कि लगभग 0.16 बीघा की विवादित भूमि जिसे राज्य सरकार ने आबादी के विकास के लिए अलग रखा था, वास्तव में गैर मुमकिन रास्ता का हिस्सा थी। रिट कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक रास्ते आम जनता की सुविधा के लिए हैं और किसी भी निजी

व्यक्ति को इसे अनधिकृत रूप से निजी इस्तेमाल के लिए लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और 3 सितंबर 2012 का सरकारी आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर था। रिट कोर्ट ने प्रतिद्वंद्वी विवादों को इस प्रकार निपटाया: "

6. निर्विवाद रूप से, राज्य सरकार ने आबादी के विकास के लिए 0.16 बीघा की विवादित भूमि जिसे अलग रखा है, गैर मुमकिन रास्ता का हिस्सा है। इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया विवादित आदेश और इस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड भी स्वतः स्पष्ट हैं।

7. यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक मार्ग आम जनता की सुविधा के लिए हैं और किसी भी निजी व्यक्ति को निजी उपयोग के लिए अनाधिकृत रूप से उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वास्तव में, प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा बनने वाली प्रत्येक इंच भूमि पर जाने का अधिकार है और राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों के पास इसकी अभिरक्षा सार्वजनिक विश्वास के दायरे में है और इसलिए, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों को भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा बनने वाली भूमि का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। 8. मामले के उपरोक्त पहलू पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने गुलाब कोठारी (सुप्रा) मामले में राज्य सरकार को निम्नलिखित रूप में विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं:

"205. XXXX...XXXX

(xix) स्थानीय प्राधिकारी और राज्य सरकार सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में फुटपाथ और सार्वजनिक मार्गों पर सीढ़ियां, रैंप, होर्डिंग या बाड़ आदि लगाकर किए गए अतिक्रमण को

कानून के अनुसार शीघ्रता से हटाया जाएगा।"

9. इस मामले के मद्देनजर, राज्य सरकार द्वारा पारित विवादित आदेश, जिसमें सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा बनने वाली भूमि को आबादी प्रयोजनों के लिए अलग रखा गया है, स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

10. प्रतिवादियों का यह भी मामला नहीं है कि वे विवादित भूमि पर कोई वैध स्वामित्व रखते हैं, बल्कि वे अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा बनने वाली भूमि पर किए गए किसी भी अतिक्रमण को न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है और इसे राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार हटाया जाना चाहिए।

11. याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए मुकदमे में सार्वजनिक मार्ग का उपयोग करने के सुखभोगी अधिकार का दावा किया गया था, जिसे सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता के अधिकार को सिविल न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी गई, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उस आदेश को भी ध्यान में रखते हुए, जिसमें भूमि को आबादी प्रयोजन के लिए अलग रखा गया था। स्पष्ट रूप से, राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा बनने वाली भूमि को आबादी प्रयोजन के लिए अलग रखने के आदेश की वैधता को सिविल न्यायालय द्वारा नहीं उठाया गया और न ही उस पर निर्णय दिया गया, इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई रिट याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

12. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

13. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप III) के उप सचिव द्वारा जारी दिनांक 3.9.12 का आदेश निरस्त किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं"

7. सबसे पहले, हम गुलाब कोठारी (सुप्रा), मुन्ना लाल (सुप्रा) और निजामुद्दीन (सुप्रा) में दिए गए प्रस्ताव से अपनी सहमति दर्ज करते हैं कि गैर मुमकिन रास्ता आम जनता के उपयोग के लिए है और निजी व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को जहां भी आवश्यक हो, हटाया जाना चाहिए, बशर्ते कि अतिक्रमणकर्ता के वैधानिक कानूनी अधिकार हों। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 88 के तहत, सभी सरकारी नजूल भूमि आवंटित की जा सकती है, लेकिन आवंटन हमेशा रास्ते के अधिकार और जनता या व्यक्तियों के सभी अन्य विद्यमान अधिकारों के अधीन होंगे। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकायों की संपत्ति जो कानूनी रूप से संपत्ति रखने में सक्षम हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकायों के किसी भी अधिकार जो ऐसी भूमि में या उसके ऊपर स्थापित हो सकते हैं, संरक्षित हैं। धारा 88 आगे यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार के आदेश के अधीन कलेक्टर के लिए उन्हें ऐसे तरीके से निपटाना वैध होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, हमेशा उनके अधिकार के अधीन

8. यदि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान है, तो यह मुद्दा अनिवार्य रूप से पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के न्यायनिर्णयन और इस बात की जांच से संबंधित होगा कि क्या विषयगत भूमि गैर मुमकिन रास्ता का हिस्सा है। रिट न्यायालय तथ्य के विवादित प्रश्न पर तब तक न्यायनिर्णयन करने का हकदार नहीं है, जब तक यह प्रदर्शित न हो जाए कि उठाए जाने वाले तथ्यों पर विवाद महज दिखावा है। सिविल न्यायालय का यह निर्णय कि वादी विषयगत भूमि के माध्यम से सुखाधिकार नहीं मांग सकता, रिट याचिकाकर्ताओं के इस दावे पर

गंभीर चोट करता है कि विषयगत भूमि गैर मुमकिन रास्ता की प्रकृति की थी। अब यह तथ्यों पर एक गंभीर विवाद बन जाता है और यह विवाद महज दिखावा न होकर वास्तविक और सारवान प्रतीत होता है। "डी.एल.एफ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य" (1976) 3 एससीसी 160 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ऐसे मामले में जहां बुनियादी तथ्य विवादित हैं, तथा साक्ष्य पर आधारित विधि और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं, रिट न्यायालय राहत मांगने के लिए उचित मंच नहीं है। यह भी माना गया है कि उच्च न्यायालय के लिए सही रास्ता यह है कि मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना प्रारंभिक आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

9. इसके अलावा, जो बात विवादित निर्णय को और भी कमजोर बनाती है, वह यह है कि रिट न्यायालय ने राज्य-प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों पर विचार नहीं किया और रिट न्यायालय ने रिट याचिका की स्थिरता के लिए निजी प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं ने विषयगत भूमि पर सुखभोगी अधिकारों का दावा करते हुए सिविल न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन मुकदमा खारिज कर दिया गया। रिट कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि जहाजपुर तहसील के अंबेडकर कॉलोनी गांव के खसरा नंबर 73 में लगभग 1.05 बीघा जमीन पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय (अंबेडकर कॉलोनी) है। दरअसल, रिट कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 6 से 18 की ओर से दिए गए इस तर्क पर गौर किया कि उन्होंने उस जमीन पर अपना मकान बना लिया है और राज्य सरकार ने उस जमीन को आबादी के लिए अलग कर दिया है, लेकिन उनके पक्ष में किए गए आवंटन में हस्तक्षेप किया है।

10. यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि रिट न्यायालय कानून और इक्विटी का न्यायालय है। इक्विटी अंग्रेजी कानून की एक शाखा के रूप में विकसित हुई जो सैकड़ों साल पहले विकसित हुई थी जब मुकदमेबाज राजा के पास जाते थे और कॉमन लॉ के कठोर या अनम्य नियमों की शिकायत करते थे जो "न्याय को प्रबल होने से रोकते थे"। चांसरी न्यायालय के दौरान इक्विटी का कानून विकसित किया गया था क्योंकि वैधानिक कानून के सख्त अनुपालन के कारण लोग पीड़ित थे। चांसरी न्यायालय इंग्लैंड और वेल्स में इक्विटी का न्यायालय था जो परिवर्तन की धीमी गति और कॉमन लॉ की संभावित कठोरता या असमानता से बचने के लिए ढीले नियमों का पालन करता था। कॉमन लॉ में परिकल्पित इक्विटी की प्रारंभिक भूमिका राजा की अंतरात्मा के रक्षक के रूप में लॉर्ड चांसलर की भूमिका का विस्तार थी। इसे सरल शब्दों में कहें तो न्यायालय मुख्य रूप से कर्तव्यनिष्ठ कानून से संबंधित प्रशासनिक निकाय था और चांसरी न्यायालय के पास कॉमन लॉ न्यायालयों की तुलना में कहीं अधिक अधिकार थे जिनके निर्णयों को रद्द करने का अधिकार उसके पास था।

11. जिल ई. मार्टिन ने इक्विटी को कई अर्थों वाली अभिव्यक्ति के रूप में समझाया है। इक्विटी की अवधारणा न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों में निहित है। कानूनी भाषा में, इक्विटी का सिद्धांत नियमों के समूह से निकलता है जो मामले की सभी परिस्थितियों और पक्षों के आचरण को ध्यान में रखता है। अरस्तू के अनुसार, जहाँ लिखित क़ानून मामले की विशेष परिस्थिति को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त पाया जाता है, लेकिन न्यायपूर्ण परिणाम की ओर इशारा करता है, वहाँ इक्विटी को आगे आना चाहिए क्योंकि लिखित कानून का पालन करने से अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकता है। मैटलैंड ने एक बार टिप्पणी की थी (1909 के इक्विटी लेक्चर में) कि कानून और इक्विटी

विरोध में नहीं हैं और इक्विटी आम कानून को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसे पूरा करने के लिए आई है।

12. कई देशों में, कानून के सख्त नियमों ने अनुचित कठिनाई से बचने के लिए इक्विटी के सिद्धांतों को रास्ता दिया है। "एम. सिद्दीक (डी) थ्री. एलआरएस बनाम महंत सुरेश दास और अन्य।" (2020) 1 एससीसी 1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई केस कानूनों और रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ संख्या 1001 में सर जॉर्ज रैंकिन, अरस्तू आदि की टिप्पणियों का हवाला देते हुए न्याय, समानता और अच्छे विवेक की अवधारणा पर चर्चा की। यह माना गया कि हालाँकि समानता सख्त न्याय के समान नहीं है, फिर भी यह एक तरह का न्याय है। "ए. पी. शौकत अली और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य" (2018) 11 एससीसी 688 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समानता क्षेत्राधिकार का उद्देश्य अन्याय को रोकना और न्याय को बढ़ावा देना है। उच्च न्यायालय "रोशनलाल कुथलिया और अन्य बनाम आर. बी. मोहन सिंह ओबेरॉय" (1975) 4 एससीसी 628 में माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की इस टिप्पणी से अनजान नहीं हो सकता कि समानता कानून का नैतिक आयाम है। उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जहां मानवीय न्याय दांव पर हो, वहां समानता तकनीकीता पर हावी हो जाएगी। ("चार्ल्स के. स्कारिया बनाम डॉ. सी. मैथ्यू" (1980) 2 एससीसी 152)।

13. रिट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत दलीलों के मद्देनजर, 3 सितंबर 2012 के सरकारी आदेश का समर्थन करने के लिए निश्चित रूप से न्यायसंगत विचार थे। हालांकि, रिट कोर्ट ने मामले के इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और 13 सितंबर 2019 का विवादित आदेश पारित किया गया। यह भी हमारे दिमाग में है कि सिविल कोर्ट के फैसले पर रिट कोर्ट द्वारा उचित विचार किया जाना चाहिए था और, 3 सितंबर 2012 के सरकारी आदेश को

चुनौती दिए जाने के बावजूद, जो रिट याचिकाकर्ताओं के लिए राहत मांगने का एक बहाना था, जिसे सिविल कोर्ट ने विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया था, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य थी।

14. मामले में उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक हैं और तदनुसार, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13247/2012 में पारित दिनांक 13 सितंबर 2019 के आदेश को रद्द किया जाता है।

15. परिणामस्वरूप, डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 156/2020 को स्वीकार किया जाता है।

(कुलदीप माथुर), जे (श्री चन्द्रशेखर), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।